

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2024—पौष 5, शक 1946

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2024

क्र. सीओपी-0046-2024-पन्द्रह-एक.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 24 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-06-2007-पन्द्रह-1, दिनांक 28 सितम्बर, 2007 तथा क्रमांक एफ-05-1-2018-पन्द्रह-1, दिनांक 1 मार्च, 2018 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि नागरिक सहकारी बैंक के किसी सदस्य की व्यक्तिगत शेयरधारिता 5 प्रतिशत, अर्थात् बैंक की कुल चुकत शेयर पूंजी के 1/20वें भाग की सीमा तक सीमित रहेगी.

No. COP-0046-2024-XV-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Section 24 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) and in supersession of this department's Notification No. F-05-06-2007-XV-1, dated 28th September, 2007 and No. F-5-1-2018-XV-1, dated 1st March, 2018, the State Government, in pursuance of the advice of the Reserve Bank of India, notifies that the individual share holding of a member in Urban Co-operative Bank shall be upto the limit of five percent, that is one twentieth part of the total paid up share capital of the Bank.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव.